

25/06/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिस पर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली व प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खातेदारान के हिस्सानुसार प्राप्त हुए हैं तथा वकील वादी ने अपनी एकपक्षीय बहस में माफिक विभाजन प्रस्ताव सहमति व्यक्त की है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बीजापुर तहसील बाली के खसरा संख्या 598 रकबा 8.27 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक-पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है :-

क. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	रंग
1	पोकरराम पुत्र पुनाराम हि० पूर्ण जाति मेगवाल सा. देह खातेदार	598	1.04	बारानी सोयम	4.16	लाल
		1	1.04	बारानी सोयम	4.16	
2	भगाराम पुत्र तुलसाराम हि० पूर्ण जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	598 / 1	7.23	बारानी सोयम	28.92	हरा
		1	7.23	बारानी सोयम	28.92	

तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25-06-25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दपतर हो।



सहायक कलेक्टर एवं सरे
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिग्री बमुकदमें इब्तादाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाका दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नीई, आर.ए.एस.

वादी :-

भगाराम पुत्र तुलसाराम जाति मेघवाल निवासी बीजापुर तहसील बाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. पोकरराम पुत्र पुनारामजी जाति मेघवाल निवासी बीजापुर तहसील बाली
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2025/235

वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व पेरोकार सरकार मिनजानिव मुद्ई व मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद विभाजन प्रस्तावानुसार स्वीकार किया जाकर ग्राम बीजापुर तहसील बाली के खसरा संख्या 598 रकबा 8.27 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है :-


क्र.सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	रंग
1	पोकरराम पुत्र पुनाराम. हि० पूर्ण जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	598	1.04	बारानी सोयम	4.16	लाल
		1	1.04	बारानी सोयम	4.16	
2	भगाराम पुत्र तुलसाराम हि० पूर्ण जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	598/1	7.23	बारानी सोयम	28.92	हरा
		1	7.23	बारानी सोयम	28.92	

तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25-06-25 को जारी की गई।



(दिनेश विश्नीई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली




Scale 1:4000

:598 : 8.2700 Hectare : 463 : 457


[] : [8.2700, 33.08]


- 1.) - 1/8 - .
- 2.) - 7/8 -

भंगाराम


 - पोकराम का हिस्सा।

 - भंगाराम का हिस्सा।


पोकी जागु


S-LR




तहसीलदार (मू.अ.) बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली